न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 117/2019-20

आवेदक/प्रथम पक्ष – पुनम तोपनो पति श्री सुनिल तोपनो
ग्राम–सुन्दारी थाना–तोरपा जिला–खूँटी।

विपक्षी/द्वितीय पक्ष – अंचल अधिकारी, तोरपा।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	
22.12.20	**आदेश** अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–390R27/18-19 में अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2019 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
कोरला	तोरपा 25	41	646	0.10

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, तोरपा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदक ने उक्त भूमि जेठा हेमरोम पिता स्व0 रड़सी हेमरोम ग्राम कोरला टांडटोली थाना तोरपा से रजिस्ट्री पट्टा सं0 1080/1047 दिनांक 21.07.2016 के द्वारा क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, तोरपा के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक द्वारा किसी तरह का दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की है।

अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया की नामांतरण के समय अंचल अधिकारी को दस्तावेज दाखिल कर दी जायेगी।

अधिवक्ता के बहस को सूना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् अंचल अधिकारी, तोरपा को **Remand** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पूर्ण दस्तावेज प्राप्त करते हुए नामांतरण हेतु न्यायसंगत कार्रवाई की जाय। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि नामांतरण के समय अंचल अधिकारी के समक्ष सभी दस्तावेज अवलोकनार्थ उपस्थापित करे।

लेखापित एवं संशोधित

22/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

22/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।